जयपुर शहर प्रथम

08/12/21

प्रार्थी प्रतिनिधि वकील प्रतिवादी अनुपस्थित। प्रार्थी का [illegible] अनुपस्थित। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 1,2, तथा प्रतिवादी संख्या 1,3 पक्षकारों को जारी सम्मन नोटिस दिनांक 22/10/2021 को दिया जाना सम्मन हो चुका है तथा प्रतिवादी पक्षकारों ने अधिक समय हो चुका है तथा प्रतिवादी संख्या 1,3 को जारी सम्मन की तामीली होने से वापस प्राप्त हुए तथा वादी द्वारा कोई सम्मन तामील नहीं कराए प्राप्त नहीं है। इस स्थिति में आदेश किया जाता है प्रार्थी उपस्थित नहीं हुए। वकील वादी पक्षकारों के कारण आगे की कार्यवाही की। वादपत्र न्यायालय शुल्क से न्यायालय शुल्क लगाई है। वाद कोई आधार नहीं हुआ। अतः वादिका का वाद आज्ञप्ति डिक्री अस्वीकृत किया जाता है। प्रार्थी प्रतिनिधि को डिक्री की प्रमाणित प्रतिलिपि दिया जाए। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

Signature Not Verified

Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2022.02.10 13:35:00 IST
Reason: SelfAttested